>

Title: Situation arising out of acquisition of fertile land of farmers by Nuclear Power Corporation of India in Gorakhpur-Kumharia village in Haryana.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि हरियाणा के जिला फतेहाबाद के ग्राम गोरखपुर-कुम्हरिया में न्युक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2800 मेगावाट का एक न्युक्लियर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन के अनुसार इस प्लांट के अन्तर्गत 700-700 मेगावाट की चार यूनिटें लगाने का प्रस्ताव है। यह क्षेत्र दिल्ली से लगभग 175 किलोमीटर दूर स्थित है।

महोदय, इस क्षेत्र में 1400 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम (लैंड एक्वीजिशन एक्ट) की धारा 4 के अन्तर्गत भूमि मालिकों यानी किसानों को नोटिसेज भेजे जा रहे हैं। 1400 एकड़ भूमि के अतिरिक्त संयंत्र के कर्मचारियों की रिहाइश हेतु लगभग 150 एकड़ भूमि और अधिगृहित की जानी है।

महोदय, इस संयंत्र के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, वह बहुत ही उपयोगी एवं साल में दो-तीन फसल देने वाली है। यह भूमि वर्ष 1894 से सिंचित है। यह भूमि किसानों के जीवनयापन का एकमात्र स्रोत है। इस भूमि में लगभग 250 पक्के मकान हैं तथा भूमिगत जल के दोहन हेतु सबमरसीबल पम्प लगे हुए हैं।

महोदय, परमाणु संयंत्र का केन्द्र बिन्दु इस भूमि से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 20 हजार है। गोरखपुर-कुम्हरिया गांव लगभग 2200 साल पुराना ऐतिहासिक गांव है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात संक्षेप मे कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप : आपको तो विदित ही है कि परमाणु संयंत्र जहां स्थापित किया जाता है, उसके 5 किलोमीटर की परिधि में आबादी नहीं रह सकती है। यदि इस परमाणु संयंत्र की स्थापना वहां की जाती है, तो गोरखपुर व अन्य कई गांवों के लोगों को वहां से विस्थापित करना पड़ेगा।

अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं अपना भाषण सदन के पटल पर रख देता हूं। अंत में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसान वहां पिछले लगभग 100 दिनों से बैठे हुए हैं, उनकी मांग को महेनजर को रखते हुए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्री से आग्रह है कि किसानों के विरोध और भारी रोष को देखते हुए उक्त परमाणु संयत्र की स्थापना का विचार त्याग दें और यदि विशेष परिस्थितियों में इसकी स्थापना अनिवार्य है, तो इसे कहीं और स्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनीष तिवारी, वैसे श्री शैलेन्द्र कुमार जी इस विषय को पहले उठा चुके हैं।